

हरियाणा में एचआईवी पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक नज्दी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत नःशुल्क स्वास्थ्य सुवधिएँ प्रदान करने का नरिणय

चरचा में क्यों?

4 जुलाई, 2022 को हरियाणा सरकार ने प्रदेश में एचआईवी पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक नज्दी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत रेडयिलॉजिकल जाँच जैसी स्वास्थ्य सुवधिएँ नःशुल्क प्रदान करने का नरिणय लिया है ।

प्रमुख बढि

- एचआईवी पीड़ित मरीजों को पीपीपी मोड के तहत सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जा रही यूएसजी, सीटी स्कैन और एमआरआई सहित सभी प्रयोगशाला जाँच एवं रेडयिलॉजिकल जाँच की सुवधि भी नःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी ।
- एचआईवी पीड़ित मरीजों को यह सुवधि प्रदान करने के लिये उन्हें राज्य की उन सात श्रेणियों में शामिल किया गया है, जनिहें पीपीपी मोड के तहत वभिन्न स्वास्थ्य सुवधिएँ नःशुल्क प्रदान की जा रही हैं, अरथात् एचआईवी पीड़ित मरीजों की श्रेणी आठवीं श्रेणी होगी, जनिहें नःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा ।
- इन सात श्रेणियों में राज्य के बीपीएल एवं शहरी मलिन बस्तियों के मरीज, राज्य सरकार से नशिकतता भत्ता प्राप्त कर रहे मरीज, किसी भी नःशुल्क श्रेणी में नहीं आने वाले मरीज, अनुसूचित जात श्रेणी के मरीज, हरियाणा सरकार की आरक्षण नीतिके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीज, सड़क दुर्घटना के शिकार लावारसि व्यक्ति और राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी एवं उनके आशरति शामिल हैं ।
- वर्तमान में राज्य में एचआईवी से पीड़ित लगभग 22,000 मरीज एंटीरटिरोवायरल थेरेपी (एआरटी) ले रहे हैं, जबकि इनकी संख्या में लगभग 300 मरीज प्रतिमाह बढ़ रहे हैं ।